

## न्यूजीलैण्ड में सीमाओं का सर्वेक्षण कौन करता है?

न्यूजीलैण्ड में स्थलीय सीमाओं का सर्वेक्षण केवल लाइसेंसप्राप्त कैडेस्ट्रल सर्वेक्षक द्वारा, या लाइसेंसप्राप्त कैडेस्ट्रल सर्वेक्षक के अधीन काम करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता है।

अधिकांश लाइसेंसप्राप्त कैडेस्ट्रल सर्वेक्षक निजी प्रैक्टिशनर हैं; वे सरकार द्वारा सीधे नियुक्त नहीं किए गए हैं।

महासर्वेक्षक (एक सरकारी अधिकारी) लाइसेंसप्राप्त कैडेस्ट्रल सर्वेक्षकों द्वारा पालन किए जाने वाले नियम तय करता है। एक स्वतंत्र लाइसेंसिंग प्राधिकारी उनके पेशेवर आचरण की निगरानी करता है।

इसके अलावा, अधिकांश लाइसेंसप्राप्त कैडेस्ट्रल सर्वेक्षक एक या अधिक पेशेवर संस्थाओं के सदस्य हैं, जो ऊंचे मानकों वाले पेशेवर व्यवहार की अपेक्षा करती हैं।

## सर्वेक्षक को मेरी जमीन तक पहुंच की ज़रूरत क्यों होती है?

लाइसेंसप्राप्त कैडेस्ट्रल सर्वेक्षक प्रायः पुराने सीमा चिन्हों (आमतौर से मेखों/पेग) या पिछले सर्वेक्षणों से अन्य सर्वेक्षण चिन्हों का उपयोग करके सीमाएं खोजते हैं। इन चिन्हों तथा अन्य सर्वेक्षण प्रमाणों तक पहुंचना लाइसेंसप्राप्त कैडेस्ट्रल सर्वेक्षक के लिए ज़रूरी है क्योंकि यह उनके सर्वेक्षणों की गुणवत्ता पर असर डाल सकता है।

कभी-कभी चिन्ह निजी जमीनों पर लगे होते हैं, जो लॉन या बगीचे में मिट्टी में दबे हो सकते हैं। वे पक्के रास्ते या मोटरमार्ग पर खुले दिखने वाले स्टील पिन सेट भी हो सकते हैं।

चिन्ह लगभग हमेशा ही घर के बाहर स्थित होते हैं, इसलिए सर्वेक्षक को आपके घर में या आपकी जमीन पर किसी अन्य इमारतों के अंदर नहीं आना पड़ता।

अगर सर्वेक्षक को आपकी जमीन पर लगे चिन्ह का इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो, तो इसका यह निश्चित मतलब नहीं है कि सर्वेक्षण आपकी सीमाओं पर असर डालेगा, क्योंकि सर्वेक्षण कुछ दूरी पर मौजूद जमीन के बारे में हो सकता है।

## अगर मैं अपनी जमीन पर सर्वेक्षण चिन्ह न चाहूं तो क्या होगा?

न्यूजीलैण्ड में सर्वेक्षण के चिन्हों को कानूनी सुरक्षा प्राप्त है-निजी जमीनों पर लगे चिन्हों सहित।

उनको जानबूझकर या लापरवाही से उखाड़ना या उनकी स्थितियां बदलना, कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण अधिनियम, 2002 के तहत अपराध है। यदि आप किसी सर्वेक्षण चिन्ह को नुकसान पहुंचाते या उखाड़ते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

## मेरे अधिकार क्या हैं?

आपकी जमीन पर आने की अनुमति मांगने वाले आदमी से आप पहचान दिखाने के लिए कह सकते हैं, जिससे यह पक्का हो जाएगा कि वह लाइसेंसप्राप्त कैडेस्ट्रल सर्वेक्षक है या किसी लाइसेंसप्राप्त कैडेस्ट्रल सर्वेक्षक के अधीन काम करने वाला व्यक्ति है।

लाइसेंसप्राप्त कैडेट्रल सर्वेक्षकों की एक सूची इंटरनेट <http://www.cslb.org.nz/> पर उपलब्ध है।

आप अपनी जमीन पर सर्वेक्षक को आने से मना कर सकते हैं। यदि आप आने की अनुमति देते हैं तो आप किसी भी समय पर सर्वेक्षक और उसके सहायकों से निकल जाने को कह सकते हैं।

हालांकि सर्वेक्षक आपकी जमीन पर आने का लिखित प्राधिकार पाने के लिए महासर्वेक्षक से अनुरोध कर सकता है। यदि ऐसा होता है, तो आपको उन्हें उचित समय में अपनी जमीन पर आने देना होगा।

इससे सर्वेक्षक को आपकी जमीन पर आने की अनुमति मिल जाएगी, लेकिन उनको आपके घर में, या आपकी जमीन पर दूसरी इमारतों के अंदर आने की अनुमति नहीं मिलेगी। यदि सार्वजनिक कार्य या प्रस्तावित सार्वजनिक कार्य के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है, तो सर्वेक्षक क्राउन के मंत्री से या किसी स्थानीय प्राधिकारी जैसे कि आपके काउंसिल से भी अनुमति मांग सकता है।

### **मैं अधिक जानकारी कहां से पा सकता हूं?**

यदि आप इस पृष्ठ पर दी जानकारी के बारे में किसी से बात करना चाहें तो आप यहां संपर्क कर सकते हैं:

न्यूजीलैण्ड के सर्वेक्षकों की पेशेवर संस्था, न्यूजीलैण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सर्वेयर्स से (04) 471 1774 पर।

सर्वेक्षण सूचनाएं रिकार्ड करने के लिए उत्तरदायी सरकारी विभाग, लैंड इन्फार्मेशन न्यूजीलैण्ड से 0800 665 463 पर।